न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 316/2024

अपीलांट	रेस्पोडेन्ट्स
ग्राम पंचायत आऊ जरिये सरपंच ग्रा0पं0 आऊ, तहसील आऊ, जिला फलौदी	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आऊ जिला फलौदी 2. रावलराम पुत्र पूसाराम ढोली 3. संतोष गिरी पुत्र रूपगिरी (दोनो निवासी ग्राम आऊ, तहसील आऊ, जिला फलौदी)

उपस्थित–
1. श्री महेन्द्र चौधरी, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1
3. श्री रामप्रकाश प्रजापत, केवियटर अधिवक्ता रेस्पो0सं0 2 व 3

निर्णय

दिनांक 02.09.2024

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी लोहावट, (फलौदी) द्वारा पारित आदेश क्रमांकः राज./2021/346 दिनांक 5.2.21 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को कण्डोन करने हेतु मियाद अधि0 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 एवं स्थगन प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0सं0 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ इनकी ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 148(ए) सीपीसी केवियट प्रा0प0 प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। रेस्पो0सं0 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 1 नियम 10 स्वीकार किया जाकर इन्हें बतौर पक्षकार रेस्पो0सं0 2 व 3 संयोजित किया गया तथा वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार कर, प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत आऊ की खातेदारी में खसरा नं0 456/11 रकबा 4 बीघा गोचर, ख0नं0 456/4 रकबा 58.17 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुई है। राज्य सरकार की DILRMP योजनान्तर्गत तहसील को ऑनलाईन किये जाने हेतु जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य व वन टू वन मेपिंग कार्य के मध्यनजर मौका स्थिति व रेकर्ड अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती के प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी लोहावट को भिजवाया गया। जिसमें उक्त ख0नं0 456/4 को पांच भागों में बांटते हुए यथा ख0नं0 456/14 रकबा 3.07 बीघा, ख0नं0 456/15 रकबा 11.05 बीघा, ख0नं0 456/16 रकबा 1.01 बीघा,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ख0नं0 456/17 रकबा 0.06 बीघा, ख0नं0 456/4 रकबा 42.18 बीघा में विभाजित कर दिया गया। जबकि मौका कब्जानुसार ख0नं0 456/14 की भूमि 8.07 बीघा, ख0नं0 456/15 की भूमि 14.05 बीघा, ख0नं0 456/16 की भूमि 1.01 बीघा, ख0नं0 456/17 की भूमि 0.06 बीघा एवं ख0नं0 456/4 की भूमि 34.18 बीघा स्थित है। उक्त कार्यवाही करते समय ग्राम पंचायत आऊ से कोई परामर्श अथवा प्रस्ताव नही लिया गया। ग्रा0पं0 द्वारा म्युटेशन नं0 3289 के अनुसार ख0नं0 456/14 एवं ख0नं0 456/4 की भूमियों का आबादी भूमियों में संपरिवर्तन कर, सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करते हुए निलामी की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली गई है। जिसके अनुसार ख0नं0 456/14 की भूमि 8.07 बीघा, ख0नं0 456/15 की भूमि 14.05 बीघा, ख0नं0 456/16 की भूमि 1.06 बीघा, ख0नं0 456/17 की भूमि 0.06 बीघा, ख0नं0 456/4 की भूमि 34.18 बीघा है। इस प्रकार सेग्रीगेशन की प्रकिया से ग्रा0पं0 की खातेदारी भूमि का आबादी में संपरिवर्तन उपरांत आवंटन प्रकिया में समस्या आ रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पंचायत के पक्ष में पारित ना0क0सं0 3289 अनुसार सेग्रीगेशन की प्रकिया पूर्ण किये जाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 2 व 3 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्रा0पं0 आऊ द्वारा दिनांक 10.1.23 को ख0नं0 456/14 के 20 भूखण्डों की निलामी तथा दिनांक 11.1.23 को ख0नं0 456/4 में 29 भूखण्डों की निलामी रखी गई थी। जिसमें हुई वित्तिय अनियमित्ताओं की जांच में विकास अधिकारी आऊ द्वारा ग्रा0पं0 को राजकोष को हानि पहुंचाना माना है। राज0 पंचायती राज नियम 1961 के नियम 274 से 277 के अनुसार ग्रा0पं0 आबादी भूमि के अतिरिक्त किसी भी भूमि का बेचान/हस्तांतरण नही कर सकती है। ग्रा0पं0 द्वारा नियम विरूद्ध जाकर राज्य सरकार की अनुमति /स्वीकृति के बिना बेचान/हस्तांतरण/किस्म परिवर्तन करवाया है, निलामी प्रकिया की अभी तक पुष्टि नही की गई है। बल्कि प्रकरण में अंतिम जांच के लिए एक ओर कमेटी का गठन किया गया है व जांच विचाराधीन है। उक्त निलामी में ग्रा0पं0 की अवैधानिक शर्त के कारण पंचायत समिति आऊ से बाहर का व्यक्ति इसमें भाग नही ले सका व विधिविरूद्ध तरीके भूखण्डों का आवंटन किया गया है। ग्रा0पं0 मात्र आबादी भूमि के पट्टे दे सकती है, आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि के पट्टे नही दे सकती है। ग्रा0पं0 द्वारा ख0नं0 456/14 की कृषि भूमि मौके पर 3.07 बीघा होने के बावजूद 8.07 बीघा, ख0नं0 456/15 की कृषि भूमि मौके पर 11.05 बीघा होने के बावजूद 14.05 बीघा तथा ख0नं0 456/4 की कृषि भूमि मौके पर 42.18 बीघा होने के बावजूद 34.18 बीघा बना दी गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार खसरा रकबा परिवर्तन किया गया है, जिसे कानूनन अनुमति नही है। ग्रा0पं0 आऊ के उक्त संपरिवर्तन आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील सं0 275/2024 संतोष गिरी व अन्य बनाम सरपंच ग्रा0पं0 आऊ में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.7.24 द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करते हुए राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभय पक्षकारान को पाबंद किया गया है। इसके अलावा तहसीलदार आऊ द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ग्रा0पं0 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 3289 दिनांक 19.2.21 के विरूद्ध रेस्पो0–संतोषगिरी वगैरा द्वारा अपर जिला कलेक्टर फलौदी के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील सं0 02/2024 में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2024 द्वारा अपीलाधीन ना0क0 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी लोहावट के आदेश क्रमांकः 346–350 दिनांक 5.2.21 की पालना सुनिश्चित करने हेतु तहसीलदार आऊ को आदेशित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार बापिणी (वर्तमान में आऊ) के प्रस्ताव पर उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा रेकर्ड/खसरा दुरूस्ती का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का कथन है कि उक्त आदेश निरस्त कर, ग्राम पंचायत के पक्ष में पारित ना0क0सं0 3289 अनुसार सेग्रीगेशन की प्रकिया पूर्ण किये जाने का आदेश फरमावे, जबकि रेस्पो0 द्वारा प्रकट तथ्यों के अनुसार उक्त ना0क0 अपर जिला कलेक्टर फलौदी के निर्णय दिनांक 10.7.24 द्वारा निरस्त कर दिया गया है तथा ग्रा0पं0 द्वारा पारित संपरिर्वतन आदेश को भी न्यायालय हाजा में चुनौति दी हुई है तथा ग्रा0पं0 द्वारा भूखण्ड आवंटन की प्रकिया में भी जांच प्रकियाधीन है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों को मद्धेनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 346 दिनांक 5.2.21 को निरस्त करते हुए, प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष की सुनवाई कर उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति का परीक्षणोपरांत, तहसीलदार आऊ से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर फैसल शुमार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

02.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर